मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अप्रैल 2010—वैशाख 3, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-19-36-2010-एक-4.—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हो रहा है. इस अधिनियम के अनुरूप सभी बच्चों का नामांकन, उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति एवं सभी बच्चों की प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा पूरी कराना राज्य की संवैधानिक अनिवार्यता है. इसका शुभारम्भ 1 अप्रैल 2010 से ''स्कूल चलें हम अभियान'' के साथ होगी.

''स्कूल चलें हम अभियान'' विगत वर्षों से संचालित किया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 3 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों का सर्वेक्षण एवं इन बच्चों की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी/शाला/ब्रिजिंग की व्यवस्था करना है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे तथा बच्चों की शिक्षा के प्रति जनसमुदाय को प्रेरित करना है. इसका आरंभ प्रदेश में स्कूल चलें हम अभियान से किया जाएगा. 1 अप्रैल 2010 से 15 अप्रैल 2010 तक प्रथम चरण में संचालित किये जाने वाले स्कूल चलें इसमें निम्नानुसार गतिविधियां संचालित होगी :—

* समुदाय की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार 15 मार्च से 15 अप्रैल 2010.
* प्रवेशोत्सव 1 अप्रैल 2010.
* प्रत्येक ग्राम में शिक्षा चौपाल का आयोजन 2-4-2010.
* शिक्षा सभा 14 अप्रैल 2010.
* प्रत्येक बसाहट में घर-घर संपर्क के माध्यम से 3 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की जानकारी का ग्राम शिक्षा रजिस्टर अद्यतन करना-30 जून से 7 जुलाई 2010 तक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

''स्कूल चलें हम अभियान'' माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोत्तम प्राथमिकता का कार्यक्रम है, अतः कृपया संलग्न परिशिष्ट अनुसार आपको आवंटित जिलों के विकासखण्डों में दिनांक 1 से 14 अप्रैल 2010 के मध्य दो दिवस के लिए आवश्यक रूप से भ्रमण कर ''स्कूल चलें हम अभियान'' को प्रभावी बनायें.

सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव.

आवंटित जिलों की सूची परिशिष्ट

स.क्र.	अधिकारी का नाम	आवंटित जिला
(1)	(2)	(3)
1.	श्री सत्य प्रकाश	धार
2.	श्री आर. परसुराम	अलीराजपुर
3.	श्री देवेन्द्र सिंघई	मुरैना
4.	श्री अशोक दास	खरगौन
5.	डॉ. राजन एस. कटोच	इन्दौर
6.	श्रीमती लवलीन कक्कड़	उज्जैन
7.	श्री आई. एस. दाणी	सतना
8.	श्री जी. पी. सिंघल	भोपाल
9.	श्री एम. एम. उपाध्याय	भिण्ड
10.	श्री एस. आर. मोहन्ती	राजगढ़
11.	श्री राघव चन्द्रा	शाजापुर
12.	श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव	मंदसौर
13.	श्री के. सुरेश	रतलाम
14.	डॉ. देवराज बिरदी	रायसेन
15.	श्री मनोज गोयल	ग्वालियर
16.	श्रीमती विजया श्रीवास्तव	शिवपुरी
17.	श्री आलोक श्रीवास्तव	जबलपुर
18.	श्री आर. के. स्वाई	मण्डला
19.	श्री ए. पी. श्रीवास्तव	अशोकनगर
20.	श्री पी. सी. मीना	श्योपुर
21.	श्री सेवाराम	गुना
22.	श्री सुदेश कुमार	देवास
23.	श्री राधेश्याम जुलानिया	बुरहानपुर
24.	श्री दीपक खाण्डेकर	दमोह
25.	श्री प्रभांशु कमल	खण्डवा
26.	श्री अनिल श्रीवास्तव	सीधी
27.	श्री प्रभाकर बंसोड़	पन्ना
28.	श्री के. पी. सिंह	सिंगरौली
29.	श्री एस. पी. एस. परिहार	सिवनी
30.	श्री बी. आर. नायडू	छतरपुर
31.	श्रीमती सलीना सिंह	बालाघाट
32.	श्री मनोज झालानी	सीहोर
33.	श्री अजय तिर्की	बड़वानी
34.	श्री संजय बंदोपाध्याय	उमरिया
35.	श्री मोहम्मद सुलेमान	विदिशा
36.	श्री आशीष उपाध्याय	रीवा
37.	श्री एस. एन. मिश्रा	होशंगाबाद
38.	श्रीमती मधु हाण्डा	हरदा
39.	श्री मनोज गोविल	झाबुआ
40.	श्री अरुण तिवारी	शहडोल
41.	श्रीमती सुधा चौधरी	नीमच
42.	श्री ओमेश मूंदड़ा	कटनी
43.	श्री प्रदीप खरे	बैतूल
44.	श्रीमती सीमा शर्मा	नरसिंहपुर
45.	श्री व्ही. के. बाथम	सागर
46.	श्री संजय दुबे	टीकमगढ़
47.	श्री अनुरुद्ध मुकर्जी	अनूपपुर
48.	श्री जब्बार ढाकवाला	डिण्डोरी
49.	श्री मनीष रस्तोगी	छिंदवाड़ा
50.	श्री सुभाष जैन	दतिया

आर. डी. साहू, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. एफ-19-36-2010-एक-4.—उपरोक्त विषयक् पूर्व में जारी इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 1 अप्रैल 2010 की प्रति संलग्न है. जारी किये निर्देशों में निम्नानुसार संशोधित करते हुए उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया जिला आवंटित किया जाता है :—

स.क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	पूर्व आवंटित जिला	वर्तमान आवंटित जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री आर. परशुराम, प्रमुख सचिव	अलीराजपुर	रतलाम
2	श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव	मंदसौर	छिंदवाड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री अनिल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव	सीधी	कटनी
4	श्री ओमेश मूंदड़ा, सचिव	कटनी	सीधी
5	श्री विश्वमोहन उपाध्याय, सचिव	–	भिण्ड
6	अश्विनी राय, सचिव	–	नरसिंहपुर
7	श्री एन. एस. व्यास, अपर सचिव	–	श्योपुर
8	श्री अमित राठौर, अपर सचिव	–	अलीराजपुर
9	श्री मनीष सिंह, अपर सचिव	–	मंदसौर
10	श्री संतोष मिश्रा उपसचिव.	–	अनूपपुर

सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. एफ-3-3-2009-एक-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखत अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 6 नवम्बर 2009 के अनुक्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती बुधवार, दिनांक 14 अप्रैल 2010 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एस. पगारे, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. एफ-7-1-92-दस-4.—सुश्री बी. मुनेम्मा (भावसे-1988) वर्तमान में वन संरक्षक (कार्यआयोजना) सिवनी द्वारा अपना नाम परिवर्तन करने का अनुरोध किया है. इस हेतु उनके द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की है :—

1. निर्धारित प्रपत्र में डीड
2. स्थानीय समाचार-पत्र में नाम परिवर्तन की सूचना
3. मध्यप्रदेश राजपत्र में नाम परिवर्तन की सूचना प्रकाशन हेतु चालान द्वारा जमा राशि की प्रति.
4. कुल नाम बदलने संबंधी विलेख पूर्ण कराकर दो राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर मय मुद्रा सहित की प्रति.

(2) उक्त अनुरोध पर विचारोपरान्त राज्य शासन सुश्री बी. मुनेम्मा का नाम निम्नानुसार परिवर्तन की अनुमति प्रदान करता है :—

पूर्व नाम—बी. मुनेम्मा
परिवर्तित नाम—ए. गौतमी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1(बी)-23-04-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री दिनेश प्रसाद त्रिपाठी पुत्र स्व. श्री श्यामलाल त्रिपाठी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उमरिया सत्र खण्ड के उमरिया राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1(बी)-30-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2007 द्वारा नियुक्त श्री पवन कुमार दुबे, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, रीवा के कार्यकाल में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 22 मार्च 2010 से तीन वर्ष अर्थात् दिनांक 22 मार्च 2013 तक की वृद्धि करता है.

यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1(बी)-01-08-04-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन,

एतद्द्वारा, श्री राजेन्द्र कुमार बढ़ौलिया पुत्र स्व. श्री कढ़ोरीलाल बढ़ौलिया को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पवई तहसील जिला पन्ना के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा.क्र. 1(बी)-08-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राजेन्द्र कुमार बढ़ौलिया, अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पवई तहसील जिला पन्ना के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, पन्ना नियुक्त करता है.

फा.क्र. 17(ई)-116-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, श्री राजेन्द्र कुमार चौदहा, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा.क्र. 17(ई)-117-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, श्री श्रेय ज्योति खरे, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा.क्र. 17(ई)-118-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, श्री संजय कुमार गुप्ता, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा.क्र. 17(ई)-119-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, श्री उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा.क्र. 17(ई)-120-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, श्री गुरूदत्त दुबे, अधिवक्ता को तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा.क्र. 17(ई)-121-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, श्री शिवकुमार सोनी, अधिवक्ता को तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बहोरीबंद जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा.क्र. 17(ई)-122-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, श्री सुरेज सिंह सेंगर, अधिवक्ता को तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009,

476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा.क्र. 17(ई)-123-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, अधिवक्ता को तहसील रीठी, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील रीठी, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा.क्र. 17(ई)-124-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, श्री भगवानदास राठौर, अधिवक्ता को तहसील बड़वारा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बड़वारा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा.क्र. 17(ई)-125-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, श्री कमलेश कुमार जायसवाल, अधिवक्ता को तहसील बड़वारा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बड़वारा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा.क्र. 17(ई)-126-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता को तहसील बरही, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बरही, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1(बी)-6-05-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, राज्य शासन, श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक को श्री राजकुमार उरमलिया के स्थान पर अस्थायी रूप से शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्ति हेतु नवीन पैनल प्राप्त होने तक अपने कार्य के अतिरिक्त ''शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक'' का कार्य करने की अनुमति दी जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. एफ 13-6-10-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा-34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, अमरकंटक ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 5 के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4713 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 8 मार्च 2010 से 7 सितम्बर 2010 तक छः माह के लिये छूट देता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. एफ 13-7-10-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा-34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, अमरकंटक ताप विद्युत् गृह क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 3 के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4264 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 13 मार्च 2010 से 12 जुलाई 2010 तक चार माह के लिये छूट देता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अपर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के साथ पठित नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, राज्य में जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए क्षेत्र कार्य 7 मई 2010 तथा 22 जून 2010 के बीच किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

पृ.क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, उपसचिव.

Bhopal, the 12th April 2010

No.F.-10-2-2008-II A(3).—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Citizenship Act, 1955 read with Rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003 the State Government hereby decides to prepare the Population Register in the State of Madhya Pradesh and the field work for data collection relating to all

persons who are usually residing within the jurisdiction of their respective Local Registrars shall be undertaken between the 7th May 2010 and 22nd June 2010.

By order and in the name of Governor of
Madhya Pradesh,
RENU TIWARI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 6क के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 एवं धारा 17क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2011 से संबंधित मकानसूचीकरण का कार्य 7 मई 2010 से 22 जून 2010 तक मध्यप्रदेश राज्य में किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

पृ.क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, उपसचिव.

Bhopal, the 12th April 2010

No.F.-10-2-2008-IIA(3).—In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rule 6A of the Census Rules, 1990 the State Government hereby declares that the Houselisting Operations of Census of India 2011 shall take place from 7th May 2010 to 22nd June 2010 in the State of Madhya Pradesh.

By order and in the name of Governor of
Madhya Pradesh,
RENU TIWARI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुदेश देती है कि सभी जनगणना अधिकारी उनकी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना 2011 के संबंध में मकानसूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछें, अर्थात्:—

1. भवन नम्बर (नगर अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नम्बर).
2. जनगणना मकान नम्बर
3. जनगणना मकान के फर्श, दीवार तथा छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री.
4. जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं
5. जनगणना मकान की हालत
6. परिवार क्रमांक
7. इस परिवार में सामान्यत: रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या:—
   (i) व्यक्ति
   (ii) पुरुष
   (iii) स्त्री
8. परिवार के मुखिया का नाम
9. लिंग
10. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित हों.
11. इस मकान के स्वामित्व की स्थिति
12. इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या.
13. परिवार में रहने वाले विवाहित दम्पत्तियों की संख्या
14. पेयजल का मुख्य स्त्रोत
15. पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता
16. प्रकाश का मुख्य स्त्रोत
17. परिसर के भीतर शौचालय
18. शौचालय की सुविधा का प्रकार
19. गन्दे पानी की निकासी
20. स्नानगृह की सुविधा
21. रसोई घर

22. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन

23. रेडियो/ट्रांजिस्टर

24. टेलीविजन

25. कम्प्यूटर/लैपटॉप

26. टेलीफोन/मोबाइल फोन

27. साइकिल

28. स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड

29. कार/जीप/वैन

30. बैंकिंग सेवा का उपयोग कर रहे हैं.

टिप्पणी.—मद सं. 1 से 5 भवन के विवरणों से, मद सं. 6 से 7 परिवार के विवरणों (पूर्णत: अथवा अंशत: आवासीय उपयोग में लाए गए जनगणना मकान के लिए) से, मद सं. 8 से 10 परिवार के मुखिया से और मद सं. 9 से 30 केवल सामान्य परिवार से संबंधित है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

पृ.क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, उपसचिव.

Bhopal, the 12th April 2010

No.F.-10-2-2008-IIA(3).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the State Government hereby instructs that all Census Officers may, within the limits of the local areas for which they have been respectively appointed, ask all such questions from all persons on the items enumerated below for collecting information through the Housèlisting and Housing Census Schedules in Connection with the Census of India 2011, namely:—

1. Building number (Municipal or local authority or census number).

2. Census House number.

3. Predominant material of floor, wall and roof of the census house.

4. Ascertain the use of census house.

5. Condition of the census house.

6. Household Number.

7. Total number of persons normally residing in the household:

   (i) Persons

   (ii) Males

   (iii) Females

8. Name of the head of the household.

9. Sex.

10. If Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Others.

11. Ownership status of the house

12. Number of dwelling rooms exclusively in possession of the household.

13. Number of married couple(s) living in the household.

14. Main source of drinking water.

15. Availability of drinking water source.

16. Main source of lighting.

17. Latrine within the premises.

18. Type of latrine facility.

19. Waste water outlet.

20. Bathing facility.

21. Kitchen.

22. Fuel used for cooking.

23. Radio/Transistor.

24. Television.

25. Computer/Laptop.

26. Telephone/Mobile phone.

27. Bicycle.

28. Scooter/Motor Cycle/Moped.

29. Car/Jeep/Van.

30. Availing banking Services.

Note.—Items 1 to 5 relate to Building particulars, items 6 to 7 relate to Household particulars (for census house used wholly or partly as a residence), items 8 to 10 relate to Head of the Household and items 9 to 30 relate only to Normal Households.

By order and in the name of Governor of
Madhya Pradesh,
RENU TIWARI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) के तहत बने जनगणना नियम, 1990 के नियम 8(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि राज्य के सभी लोग भारत की जनगणना 2011 के लिए जनगणना अधिकारी को अधिनियम की धारा 8, 9 एवं 10 में विहित की गई रीति से पूछे गये प्रश्नों की यथार्थ एवं स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग प्रदान करें.

ऐसा कोई व्यक्ति जो जनगणना 2011 के लिये पूछे गए प्रश्नों की यथार्थ एवं स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग प्रदान नहीं करता है वह अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा.

आम जनता की जानकारी के लिए जनगणना अधिनियम की धारा 8, 9, 10 एवं 11 पुनः यहां उद्दत की जाती है:—

प्रश्नों का पूछा जाना और उत्तर देने की बाध्यता (धारा 8)

8(1) जनगणना अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र की सीमा में, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है सभी व्यक्तियों से ऐसे सभी प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें पूछने के लिए, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी और राजपत्र में प्रकाशित किए गए अनुदेशों द्वारा, निर्दिष्ट किया जाए.

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन कोई प्रश्न पूछा जाता है, अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा;

परन्तु कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी स्त्री सदस्य का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगा, और कोई भी स्त्री अपने पति या मृत पति का अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगी जिसका नाम बताने के लिए वह रूढ़ि द्वारा निषिद्ध की गई हो.

अधिभोगी प्रवेश करने और संख्यांक अंकित करने देगा. (धारा 9)

किसी गृह, अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जनगणना अधिकारियों को उसमें ऐसा प्रवेश करने देने की अनुज्ञा देगा जिसकी वे जनगणना के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करें तथा जो देश की रूढ़ियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हों, और वह उनको ऐसे अक्षरों, चिन्हों या संख्यांकों से जो जनगणना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, उस स्थान को अंकित करने की, या उनको उस स्थान पर लगाने देने की अनुज्ञा देगा.

अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा अनुसूची का भरा जाना. (धारा 10)

10(1) ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जैसे जनगणना आयुक्त इस निमित्त जारी करे, जनगणना अधिकारी, ऐसे स्थानीय क्षेत्र में जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, किसी निवासगृह में या किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक स्थापन के प्रबंधक या किसी अधिकारी के पास एक अनुसूची, जनगणना करने के समय, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग में सहवासियों या ऐसे प्रबंधक या अधिकारी के अधीन नियोजित व्यक्तियों के बारे में, ऐसे गृह या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग के अधिभोगी द्वारा या ऐसे प्रबंधक या अधिकारी द्वारा उसमें ऐसी विशिष्टियां, जैसे जनगणना आयुक्त निर्दिष्ट करें, भरने के प्रयोजन के लिए रख सकेगा या रखवा सकेगा.

(2) जब ऐसी अनुसूची इस प्रकार रख दी जाए तब यथास्थिति, उक्त अधिभोगी, प्रबंधक या अधिकारी, पूर्वोक्त समय पर, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग के सहवासियों या उसके अधीन नियोजित व्यक्तियों के संबंध में, उसे अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार भरेगा या भरवाएगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और जब उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तब वह इस प्रकार भरी गई और हस्ताक्षरित अनुसूची, जनगणना अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसे जनगणना अधिकारी निर्दिष्ट करें, परिदत्त करेगा.

शास्तियां (धारा 11)

11(1)[(क)कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति जो

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने से इंकार करेगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित या बाधित करेगा, या

(कक) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिये विधिपूर्वक अपेक्षित कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में या उसको दिये गए किसी आदेश का पालन करने में युक्तियुक्त तत्परता बरतने में उपेक्षा करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में या किसी ऐसे आदेश का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित या बाधित करेगा, या;].

(घ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए किसी ऐसे प्रश्न का, जिसका उत्तर देने के लिए वह धारा 8 द्वारा वैध रूप से आबद्ध है, साशय मिथ्या उत्तर देगा, या अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उत्तर देने से इंकार करेगा, या

(ङ) किसी गृह, अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी को उसमें ऐसा युक्तियुक्त प्रवेश करने देने से इंकार करेगा जैसा कि वह धारा 9 द्वारा अनुज्ञा देने के लिए अपेक्षित है, या

(च) कोई ऐसा व्यक्ति, जो किन्ही ऐसे अक्षरों, चिन्हों या संख्यांकों को, जिन्हें जनगणना के प्रयोजनों के लिए अंकित किया या लगाया गया है, हटाएगा, मिटाएगा, परिवर्तित करेगा, या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, या

(छ) कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 10 के अधीन अनुसूची भरने की अपेक्षा की गई हो, जानते हुए और बिना पर्याप्त कारण के उस धारा के उपबन्धों को अनुपालन करने में असफल रहेगा, या उसके अधीन कोई मिथ्या विवरणी देगा, या

(ज) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना कार्यालय में अतिचार करेगा जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा और भाग (क), (ख) या (ग) के अधीन दोष सिद्ध होने की दशा में कारावास से भी, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा.

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

पृ.क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, उपसचिव.

Bhopal, the 12th April 2010

No.F.-10-2-2008-IIA(3).—In exercise of the powers conferred by rule 8(ii) of Census Rules, 1990 under the Census Act, 1948 (37 of 1948), "the State Government hereby direct all persons in the state to co-operate in furnishing accurate and unambiguous information to the Census Officer for Census of India 2011, according to provisions prescribed in the Section 8, 9 and 10 of the Act.".

Any person who does not co-operate in furnishing accurate and unambiguous information to the questions thus asked by the Census Officers will be liable for punishment under Section 11 of the Act.

The Section 8, 9, 10 and 11 of Census Act is being extracted here again for general public information:—

Asking of Questions and Obligation to Answer (Section 8) 8(1) A Census Officer may ask all such questions of all persons within the limits of the local area for which he is appointed as, by instructions issued in this behalf

by the Central Government and published in the Official Gazette, he may be directed to ask.

(2) Every person of whom any question is asked under sub-section (1) shall be legally bound to answer such question to the best of his knowledge or belief;

Provided that no person shall be bound to state the name of any female member of his household, and no woman shall be bound to state the name of her husband or deceased husband or of any other person whose name she is forbidden by custom to mention.

Occupier to permit Access and affixing of numbers.
(Section 9)

Every person occupying any house, enclosure, vessel or other place shall allow census officer such access thereto as they may require for the purposes of the census and as, having regard to the customs of the country, may be reasonable, and shall allow them to paint on, or affix to, the place such letters, mark or numbers as may be necessary for the purposes of the census.

Occupier or Manager to fill up Schedule.
(Section 10)

10(1) Subject to such orders as the Census Commissioner may issue in this behalf, a census officer may, within the local area for which he is appointed, leave or cause to be left a schedule at any dwelling-house or with the manager or any officer of any commercial or industrial establishment, for the purpose of its being filled up by the occupier of such house or of any specified part thereof or by such manager or officer with such particulars as the Census Commissioner may direct regarding the inmates of such house or part thereof, or the persons employed under such manager or officer, as the case may be, at the time of the taking of the Census.

(2) When such Schedule has been so left, the said occupier, manager or officer, as the case may be, shall fill it up or cause it to be filled up to the best of his knowledge or belief so far as regards the inmates of such house or part thereof or the persons employed under him as the case may be, at the time aforesaid, and shall sign his name thereto and, when so required, shall deliver the Schedule so filled up and signed to the census-officer or to such person as the census-officer may direct.

Penalties
(Section 11)

11(1) [(a) Any census-officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census who refuses to perform any duty imposed upon him by this Act or any rule made there under, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty, or

(aa) any census-officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of a census who neglects to use reasonable diligence in performing any duty imposed upon him or in obeying any order issued to him in accordance with this Act or any rule made thereunder, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty or obeying any such order, or;]

(d) any person who intentionally gives a false answer to, or refuses to answer to the best of his knowledge or belief, any question asked of him by a census officer which he is legally bound by Section 8 to answer, or

(e) any person occupying any house, enclosure, vessel or other place who refuses to allow a census

officer such reasonable aecess thereto as he is required by Section 9 to allow, or

(f) any person who removes, obliterates, alters, or damages any letters, marks or numbers which have been painted or affixed for the purposes of the census, or

(g) any person who, having been required under Section 10 to fill up a Schedule, knowingly and without sufficient eause fails to comply with the provisions of that Section, or makes any false return there under, or

(h) any person who, trespasses into a census shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees and in case of a conviction under part (a), (b) or (c) shall also be punishable with imprisonment which may extend to three years.

(2) Whoever abets any offence under sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
RENU TIWARI, Dy. Secy.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. एफ-3-109-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-109-2010-बत्तीस, दिनांक 8 जनवरी 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इन्दौर विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कस्बा, इंदौर.	154, 154/1650 158/1649.	15.32 एकड़	औद्योगिक एवं मार्ग.	आवासीय एवं मार्ग शर्त— (1) खान नदी से 30 मीटर तक खुला क्षेत्र छोड़ना होगा. (2) मार्ग विस्तार हेतु भूमि विकास योजना अनुसार छोड़ना होगा. (3) परिसर में स्थित वृक्षों को जहां तक सम्भव हो, बचाया जाये तथा जिन वृक्षों को काटा जाना अपरिहार्य हो, उनके प्रतिस्थापन हेतु 5 नये वृक्ष प्रति काटे गये वृक्ष के मान से हरित क्षेत्र विकसित किया जाना अनिवार्य होगा.
	योग :		15.32 एकड़		

2. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 4190-व.लि.-1-2010.—होशंगाबाद जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारी का प्रार्दुभाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जाए.

अत: मैं निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला होशंगाबाद में मध्यप्रदेश हैजा विनियम-1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूं कि:—

1. . अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों बाजारों उपहार ग्रहों भोजनालय होटलों जनता के लिये खाद्य पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिए कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर:—

(क) बासी मिठाइयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े-गले फलों व सब्जियां, मास-मछली अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद रहेगी.

(ख) बासी मिठाइयों व नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियां, दूध, दही, उबली हुई चाय, काफी, शरबत, मॉस मछली, अण्डे, कुल्फी आईस्क्रीम आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे, उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कॉच के बंद शोकेस, बंद अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढ़ककर इस प्रकार रखें जावेगें ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सकें.

2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-1 (क एवं ख) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाए गये भोजन को न तो लायेगा न ही ले जायेगा.

इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार भवन दुकान स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान प्रवेश करने निरीक्षण करने उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई अस्वस्थ्यकारक दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण कराकर हटाने व नष्ट कर या उसके ऐसी रीति से निवर्तन करने के लिए जिससे वह मानव उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके. जनहित में म. प्र. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5(5) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रतिबंध किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी, धारा 16 के तहत जिसमें दण्ड में सजा एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है. अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं:—

1. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सा / खण्ड चिकित्सा अधिकारी.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.
5. नंगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक
6. खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालों, नालियों, गटरों, पानी के खड्डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने, उक्त स्थापन को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निवर्तन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छ: माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावशील होंगे.

निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्र. सह.अधि-रीडर-2010-490.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनिमय-2000 के विनिमय क्रमांक -03 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य संभागीय मुख्यालय, इन्दौर में माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 16 अप्रैल 2010 को नियत की गई है. इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर इन्दौर, राजस्व संभाग, इन्दौर में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी. एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित हो.

(मान. अध्यक्ष द्वारा आदेशित)

विमल श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दण्डाधिकारी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 6 अप्रैल 2010

क्र. 3792.—सीहोर जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जावे.

अतः मैं संदीप यादव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, आपत्तिक हैजा विनियम-1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सीहोर जिले को मैं अधिसूचित घोषित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि:—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों, जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिए ली गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :—

(1) बासी मिठाइयां या खराब वस्तुओं या सड़े-गले फलों, सब्जियों, मास-मछलियों, अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी.

(2) ताजी मिठाइयां, नमकीन, फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली चाय, कॉफी, शरबत, मॉस मछली, अण्डे, आईस्क्रीम, कुल्फी आदि खाद्य पदार्थों, वर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ, बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे, उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर इस प्रकार रखें की मक्खी, मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सकें.

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचना में ये क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-"क" (1) एवं (2) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुये भोजन जो न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.

(ग) इस आदेश के द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके. अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं :—

1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय वैध आयुर्वेदिक औषधालय.
3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सीहोर/आष्टा.
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सीहोर/आष्टा/बुधनी/इछावर/नसरूल्लागंज.
6. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक, सीहोर/आष्टा/बुधनी/नसरूल्लागंज/इछावर/श्यामपुर.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारियों अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नालियों, नालों, गटरों, पानी के खड्डों, पोखरों, जलकुण्डों, सण्डासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने, उक्त संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो पहले हो, तक प्रभावशील होगा.

संदीप यादव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. भू-अर्जन-2008-1338-03-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण (6)
जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम (3)	कुल क्षेत्रफल (4)			
			सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)		
उमरिया	पाली	सेमरिहा			कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया.	बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.
अशासकीय सर्वे क्रमांक			2	0.967		
			5	0.275		
			6	0.910		
			7	1.461		
			8	0.142		
			9	0.170		
			10	0.101		
			11	0.109		
			12	0.032		
			13	0.105		
			14	0.336		
			15	0.186		
			18	0.817		
			19	0.539		
			20	0.101		
			21	0.648		
			22	0.539		
			23	3.481		
			24	0.539		
			25	1.275		
			26	1.169		
			27	0.142		
			28	1.485		
			29	0.445		
			31	0.692		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			32	0.700		
			37	0.752		
			38	0.388		
			39	1.546		
			40	0.081		
			41	0.142		
			42	0.100		
			43	0.020		
			45	0.400		
			46	0.087		
			47	0.432		
			48/1	0.352		
			63	0.607		
			64/2	0.405		
			67	0.304		
			68	0.121		
			69	0.466		
			70	0.587		
			80	0.814		
			213	0.227		
			216	1.619		
			217	0.926		
			218	0.405		
			220	1.478		
			223	0.170		
			227	0.090		
			230	0.160		
			231	0.057		
			233	0.405		
			383	0.040		
			384/1	0.101		
			384/2	0.101		
			385/1	0.121		
			37/453	2.043		
			39/464	0.486		
			44/445	0.020		
			66/454	1.282		
			योग . .	34.701		

शासकीय सर्वे क्रमांक

3	0.008
4	0.008
16	0.235
17	0.154
33	0.049

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			34	0.142		
			35	0.057		
			36	0.020		
			64/1	0.275		
			65	0.955		
			66	0.032		
			71	0.102		
			72	0.013		
			74	0.069		
			212	1.433		
			214	0.061		
			219	0.364		
			224	0.539		
			225	0.113		
			226	0.714		
			234	0.088		
			232	0.425		
			340	0.585		
			योग . .	6.433		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में देखा जा सकता है.

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2008-1339-04-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)		
उमरिया	पाली	सलैया	447	0.120	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया.	बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.
अशासकीय			480	0.405		
			484	3.645		
			485/1	0.202		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			485/2क	1.923		
			485/2ख	1.922		
			486	1.400		
			487	0.474		
			490	1.619		
			491/1क	3.300		
			491/1ख	1.619		
			491/2	0.809		
			494/1क	0.142		
			494/1ख	0.141		
			494/2	0.121		
			योग . .	17.842		
			शासकीय			
			479/1	0.283		
			482/1	0.270		
			488	0.890		
			योग . .	1.443		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में देखा जा सकता है.

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2008-1340-05-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
उमरिया	पाली	अमिलिहा	खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया.	बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.
अशासकीय			36	0.214		
			56	0.220		
			60	0.155		
			62	0.480		
			69	0.150		
			70	0.130		
			73	0.008		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			76	0.140		
			77	0.040		
			78	0.080		
			87	0.324		
			101	0.809		
			103	0.106		
			104	0.807		
			106	0.560		
			113	3.610		
			114	3.047		
			116	0.607		
			118/1	0.304		
			118/2	0.304		
			121	0.607		
			124	0.405		
			126	0.202		
			136	1.114		
			138	0.850		
			139/1	0.101		
			146	0.073		
			589	0.101		
			590	0.020		
			592	0.020		
			594	0.530		
			595/1	0.433		
			595/2	0.429		
			596/2	0.320		
			598	0.324		
			599	0.206		
			600/2	0.405		
			600/3	0.405		
			601	0.045		
			602/1	0.380		
			602/2	0.190		
			602/3	0.194		
			602/4	0.380		
			603	0.140		
			604	0.166		
			605	0.194		
			606	0.401		
			607	0.235		
			608	0.744		
			609/1	0.150		
			609/2	0.154		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			610	0.667		
			614	0.487		
			615	0.607		
			617	0.121		
			618/1	0.372		
			618/2	0.205		
			618/3	0.225		
			620	0.210		
			622	1.214		
			623	0.405		
			625	0.240		
			627	0.170		
			629	0.238		
			632	0.405		
			633	0.262		
			634	0.242		
			635	0.129		
			636	0.170		
			637	0.547		
			639	0.200		
			640	0.101		
			643	0.030		
			646	0.530		
			647/1	0.101		
			647/2	0.101		
			723/3	0.324		
			723/4	0.500		
			728/2	0.304		
			729	0.030		
			730/2	0.202		
			731	0.070		
			733	0.405		
			735/2	0.320		
			736	0.380		
			योग . .	32.627		
				शासकीय		
			38	0.113		
			39	0.089		
			54	0.060		
			55	0.070		
			57	0.049		
			58	0.070		
			59	0.020		
			71	0.010		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			72	0.081		
			74	0.020		
			75	0.160		
			99	0.260		
			102	0.688		
			105	0.200		
			107	0.350		
			108	0.080		
			109	1.562		
			110	1.598		
			111	0.057		
			112	0.105		
			115	0.073		
			117	1.343		
			119	0.502		
			120	2.279		
			122	1.497		
			123	1.327		
			125	0.429		
			135	0.660		
			137	0.162		
			142	0.080		
			143	0.030		
			144	0.129		
			145	0.050		
			147	0.670		
			593	0.121		
			595	0.495		
			596/1	0.142		
			600/1	0.215		
			611	0.028		
			613	0.138		
			616	0.729		
			621	0.440		
			624	0.097		
			626	0.065		
			630	0.350		
			631	0.437		
			638	0.180		
			641	0.081		
			642	0.440		
			644	0.093		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			648	0.080		
			668	0.320		
			724	0.219		
			725	0.140		
			728/1	0.070		
			730/1	0.020		
			138/784	0.032		
			शासकीय कुल योग . .	19.864		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में देखा जा सकता है.

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. 04-अ-82-2009-10-राज.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	पिसनारी	0.10	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी नहर संभाग, क्र. 9, जिला दतिया.	राजघाट नहर परियोजना के अंतर्गत पिसनारी एवं चिरूला के सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजघाट नहर परियोजना, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 26 मार्च 2010

प्र. क्र. 01-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	तिलाडिया	11.51 एकड़ / 4.658 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	राला उपनहर की राला टेलमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 2-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	बोरखेडाकला	39.54 एकड़ / 16.001 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 4-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	धन्नास	0.98 एकड़ / 0.396 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 5-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	सेमलपानी कदीम	5.22 एकड़ / 2.112 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 6-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	बालागांव	5.56 एकड़ / 2.250 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 7-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	रिछाडिया कदीम	7.23 एकड़ / 2.926 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 646-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. 09-अ 82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	करवड़	1.53	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला झाबुआ.	माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	1.53		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. भू-अर्जन-2010-398.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	शुजालपुर	उमरसिंगी	52.745	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, शाजापुर.	मकोडी-उमरसिंगी तालाब योजना.
		योग . .	52.745		

नोट—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. क-भू.अ.-1-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पथरिया	देवरान प.ह.नं. 24, खसरा नं. 216.	0.04	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क) दमोह.	बांसा देवरान भौंरासा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी दमोह में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. ए. खंडेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

ईश्यू क्र. 481-री-10-प्र.क्र. 3-अ-82-09-10-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	सुवासरा	अजयपुर	1.62	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.	अजयपुर तालाब के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ईश्यू क्र. 480-री-10-प्र.क्र. 4-अ-82-09-10-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	सुवासरा	अजयपुर	1.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.	अजयपुर तालाब योजना के लघु नहर हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. के. सारस्वत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 23-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	पैगयाई स्पिलवे.	28.019 योग . . 28.019	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 35-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	शहपुरा	326.341	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.
		योग . .	326.341		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 37-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नम्बर (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	साड़ेर	126.792	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना का डूब क्षेत्र.
		योग . .	126.792		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 2665-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	जैतपुरा	3.042	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	बोरदाखुर्द तालाब की शीर्ष कार्य निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
		कुल योग . .	3.042		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 348-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 23-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	रूपखेड़ा	0.690	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 351-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 24-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	बहादरपुरा	1.885	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 349-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 25-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	बिलखेड़	2.276	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 350-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 26-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	बामंदी	0.885	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 353-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 27-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	रेगवा	2.180	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 352-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 28-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	खड़कवानी	5.830	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 354-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 29-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	सोनखेड़ी	6.231	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 489-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 10-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	उमरिया	14.948	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 490-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 11-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	साली	22.760	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 491-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 12-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	भमोरी	19.874	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 492-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 13-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की

उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	बिलवा रोड	6.363	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 493-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 14-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	मंदिल	6.238	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. 522-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 15-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के

लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	लोनसरा बुजुर्ग	10.340	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 523-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 16-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों कि भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	तलवाड़ा बुजुर्ग	26.750	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 524-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 17-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	रेहगुन	22.510	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 525-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 18-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	सजवानी	42.500	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 526-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 19-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	सेगांव	5.200	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 527-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 20-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	बड़गांव	18.500	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 528-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 21-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी खुर्द	12.830	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन.बी.एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्र. 216-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	इन्दौर	चितावद	6.519	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर.	अंगीकृत विकास योजना 2021 के प्रावधानों के अनुरूप आवास एवं सिटी पार्क हेतु (योजना क्रमांक 163).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 29 जनवरी 2010

प्र. क्र. 6-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—बुदनी
(ग) नगर/ग्राम—परसवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.160 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4	0.790
9-10/1क	1.370
योग . .	2.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बनेटा मध्यम उदवहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 26 मार्च 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—मेहरूगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.198 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
22/1/1क	0.101
22/1/1ग	0.097
योग . .	0.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दांयी मुख्य नहर की जोगला माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—भीमगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.287 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
53,55,62/2/2ख	0.275
53,55,62,2/1/1	0.182
61/1	0.008
59/1/1क	0.154

(1)	(2)
58	0.105
106/58	0.178
59/1/1ख/1	0.308
60/1	0.077
योग . .	1.287

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दांयी मुख्य नहर की जोगला माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—जोगला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.344 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
53	0.057
64,185/58/2/2	0.113
64,185/58/2/2ख	0.057
64,185/58/2/2घ	0.097
54	0.008
64,185/58/2/2ग	0.113
64,185/58/2/2क	0.304
176/61	0.089
60,71,73,177/64,178/72/1	0.008
60,71,73,177/64,178/72/2	0.004
60,71,73,177/64,178/72/3	0.243
60,71,73,177/64,178/72/4	0.251
योग . .	1.344

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दांयी मुख्य नहर की जोगला माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—राला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.320 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
180/3, 1811/8	0.114
180/1, 181/2/1/1	0.004
180/1, 181/2/1/2/1	0.202
योग . .	0.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राला माइनर क्र. 2 की सब माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—राला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.930 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
419, 420, 421/2	0.008

(1)	(2)
419, 420, 421/1/2	0.049
419, 420, 421/1/1	0.016
423,424/5	0.162
423/424/4	0.024
423/424/3	0.032
423/424/2	0.040
423/424/1	0.049
425/1	0.332
431/2/2	0.134
413/2/3	0.129
413/2/5	0.040
413/3/2क	0.081
413/3/3	0.113
413/4/2	0.121
413/4/1ख	0.008
413/5/3	0.308
412/1/4	0.284
योग . .	1.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राला उप नहर की राला टेलमाइनर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—पाडलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.056 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
58/2/1/1	0.073
58/2/1/3ड	0.210
61/1/2	0.020
61/3	0.332
60	0.421
योग . .	1.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राला उप नहर की टेल माइनर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 6 फरवरी 2010

राजस्व प्रकरण क्र. 4-अ-82-2007-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—पानसेमल
(ग) ग्राम—बायगोर एवं करणपुरा
(घ) लगंभग क्षेत्रफल—5.362 हेक्टर.

सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम-बायगोर तहसील पानसेमल (तालाब हेतु)	
47/2	0.565
47/3	0.073
48	2.308
68/14	0.821
योग . .	3.767

(1)	(2)
ग्राम—करणपुरा तहसील पानसेमल (तालाब हेतु)	
3/1/1	0.243
योग . .	0.243
ग्राम—करणपुरा तहसील पानसेमल (नहर निर्माण हेतु)	
1/7 क	0.045
1/7 ख	0.040
1/9/1ग	0.198
1/23, 2/3	0.045
1/24	0.110
1/4, 3/4, 4/1, 4/6, 5/1	0.208
3/5, 6/1	0.144
9/1 क	0.148
9/1ख	0.212
3/6ङ, 9/3ङ, 13/1ङ, 16/4ङ	0.101
3/6ज, 9/3ज, 13/1ज, 14/4ज	0.101
योग . .	1.352
कुल योग . .	5.362

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—करणपुरा तालाब एवं नहर परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन अनुविभाग पानसेमल के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2010

क्र. 337-10-राजस्व प्रकरण क्र. 17-अ-82-2008-09-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—पानसेमल
(ग) ग्राम—चुनाभट्टी एवं पन्नाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.629 हेक्टर.

सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—चूनाभट्टी तहसील पानसेमल (तालाब निर्माण हेतु)	
3	0.020
4	1.600
6	0.710
10	1.030
12	0.526
13	0.430
18	0.061
26	0.830
योग . .	5.207
ग्राम—पन्नाली तहसील पानसेमल (तालाब निर्माण हेतु)	
10/1ज, 11/1, 13/2, 14/2	0.101
10/2, 11/2, 11/3, 15/2, 16/4	0.364
13/1	0.130
27	1.053
योग . .	1.648
ग्राम—पन्नाली तहसील पानसेमल (नहर निर्माण हेतु)	
9/1/6	0.045
9/2, 9/3	0.210
18/1/1क, 18/1घ	

(1)	(2)
10/2 11/2 11/3 15/2 16/4	0.081
13/1	0.165
16/1	0.081
16/3	0.081
18/1ख	0.180
18/1ग	0.068
19/3	0.030
24/1ख 24/2	0.338
24/1/1क 24/3	0.090
24/4 24/5	0.060
24/1/2क 41/1	0.225
41/2	0.120
योग . .	1.774
कुल योग . .	8.629

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—घानापानी तालाब एवं नहर निर्माण परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन अनुविभाग पानसेमल के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 9 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 59-अ-82-2008-09-क्र. 499-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—झिरन्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.842 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
(1)	(2)
50/2	0.518
52	0.324
योग :	0.842

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 71-अ-82-2008-09-क्र. 502-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—खुरमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.685 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
(1)	(2)
123	0.166
122	0.012

(1)	(2)
121/2	0.118
105/5, 105/6	0.504
105/4	0.084
109/2	0.010
109/1	0.167
108	0.679
106/2	1.381
100/2	0.129
100/1	0.622
96/2	0.813
योग :	4.685

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की कुआं ब्रान्च की नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 86-अ-82-2008-09-क्र. 500-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—बड़सलाय
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.917 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
260/5	1.011
260/6	1.558
263/1	0.906
265/3	0.809
265/20	0.889
267/2	0.571
267/1/2/3	0.263
463/9, 463/10	0.910
योग :	6.917

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्र. 326-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 3-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—बोरगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—37.714 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
32	6.321
33	1.165

(1)	(2)
62/1	0.520
62/3	0.075
64/1/1	0.810
64/1/2	0.647
64/2	1.165
66	3.323
68	4.497
69	3.116
95/1	0.450
96/1	0.090
96/3	0.030
96/5	0.120
96/8	0.036
96/9	0.024
123/3	0.078
123/2/1/2/2	0.048
125/2	0.090
135/1/2	0.120
135/2	0.225
136/1	0.345
136/2	0.030
137/1	0.060
137/2	0.088
137/3	0.120
145/1	0.110
145/2	0.344
148/2	0.607
148/3	0.910
148/5	0.527
148/6	0.523
148/7	1.254
117 118/1/1/1	0.108
117 118/1/1/2	0.150
117 118/1/2	0.060
117 118/2	0.234
119/1/1/1	0.030
119/1/1/2	0.020
119/1/2	0.042
119/2	0.072
123/1	0.102
123/2/1/1/2	0.024
123/2/1/1/3	0.030
123/2/2	0.066
150	2.363
152/1	2.882
163/7	0.360
167/2	0.060
167/3	0.240
168/15	0.450
193/1	0.100
193/2	0.543
193/3	1.412
386/1/2	0.048
386/2	0.402
391/1	0.048
योग . .	37.714

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बोरगांव तालाब योजना एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भीकनगांव कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 5-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके

द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—भाण्डेर
(ग) ग्राम—ततारपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.28 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
854	0.04
1056	0.06
1175	0.05
1499	0.08
1895	0.05
योग . .	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत रामगढ़ शाखा नहर की ततारपुर सब माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी राजघाट नहर परियोजना दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 2661-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (गोकुलपुरा तालाब की एल. बी. सी. एवं आर. बी. सी. नहर निर्माण एवं बांध के डूब क्षेत्र में छूटे हुए सर्वे नं.) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—राजगढ़
(ग) ग्राम—बांसखेड़ा, देहरीकराड़ा, गोरियाखेड़ा, गिन्दोरी एवं धुवाखेड़ी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.016 हेक्टर.

एल. बी. सी. नहर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1) .	(2)
ग्राम-बांसखेड़ा, क्षेत्रफल 3.034 हेक्टर	
298/2/6	0.170
298/2/16	0.080
298/2/34	0.080
298/2/41	0.080
298/2/36	0.005
298/2/37	0.070
298/2/38	0.065
421/36	0.200
1190/18	0.120
421/1	0.160
421/7/1	0.045
421/6	0.080
421/7/2	0.045
1190/20	0.146
1190/23	0.276
1203/3	0.150
1190/24	0.200
1203/5	0.118
1203/6/1 से	0.088
1203/6/1 से	0.088
1203/6/2	0.088
1203/6/5	0.090
304	0.200
1190/26/2	0.060
1190/16	0.250
1203/6/3	0.080

(1)	(2)
ग्राम-देहरीकराड़ा, क्षेत्रफल 1.234 हेक्टर	
807/49	0.050
816/1/1	0.060
816/1/2	0.100
816/2	0.200
820/1	0.021
820/3/1	0.021
816/3	0.200
820/2	0.021
820/3/2	0.021
819	0.040
83/37	0.200
83/47	0.100
807/36	0.200
आर. बी. सी. नहर	
ग्राम-गोरियाखेड़ा, क्षेत्रफल 3.771 हेक्टर	
1/9/1	0.010
1/9/2	0.010
1/8	0.060
1/7/1	0.030
1/7/2	0.030
1/6	0.050
1/5	0.050
1/4	0.050
1/3	0.050
1/2	0.050
1/14	0.080
1/15	0.030
560/1	0.013
558	0.060
556	0.008
560/2	0.030
560/3	0.100
560/5	0.140
560/4	0.160
551/1	0.005
551/2	0.005
553	0.030
570	0.042
517/1	0.100
56	0.040
55/1	0.050
54	0.004
77/2	0.040
37	0.070
38	0.040
30/1	0.060
30/2	0.037
30/3	0.028
570	0.052
135/2	0.025
132	0.030
121/1	0.140
121/108	0.006
109	0.020
110/1	0.080
111/1	0.010
110/2	0.010
111/2	0.060
590	0.440
559/1	0.040
559/2	0.040
590/3	0.300
590/2	0.200
567/1	0.016
567/2	0.016
568/1	0.040
568/2	0.040
569/1	0.020
569/2	0.020
56 से	0.210
55/1	0.031
55/2	0.031
135/1	0.025
134/1	0.013
134/2	0.014
121/3	0.018
121/2	0.017
57/5/1	0.045
57/5/2	0.050
57/5/3	0.100
55/1	0.050

(1)	(2)

डूब क्षेत्र में शेष बची भूमि का अर्जन

ग्राम-बांसखेड़ा, क्षेत्रफल 2.214 हेक्टर

421/30/2	1.000
225/3/1	0.120
421/30/1	0.100
421/26/2	0.300
218/3/1	0.047
213	0.038
220/4/2	0.020
229/1267/1/1	0.125
249/1	0.031
260	0.180
421/1	0.253

ग्राम-गिन्दोरी, क्षेत्रफल 0.300 हेक्टर

452/3	0.300

ग्राम-धुंवाखेड़ी, क्षेत्रफल 0.463 हेक्टर

130/7	0.463

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—गोकुलपुरा तालाब की एल. बी. सी. एवं आर. बी. सी. नहर एवं डूब क्षेत्र में शेष बची भूमि निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2663-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (रावतपुरा तालाब निर्माण हेतु शीर्ष एवं नहर कार्य में शेष बची भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—रावतपुरा एवं देवरीकलॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.285 हेक्टर.

डूब क्षेत्र में शेष बची भूमि

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम-रावतपुरा, क्षेत्रफल 0.563 हेक्टर

54	0.020
53	0.300
111/1/1	0.193
51/2	0.050

नहर में शेष बची भूमि

ग्राम-देवलीकलॉ, क्षेत्रफल 1.722 हेक्टर

396	0.019
408	0.133
482	0.221
485/1	0.126
485/2	0.202
486/2	0.066
487/3	0.432
488	0.177
484/1	0.063
392/2	0.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रावतपुरा तालाब के शीर्ष एवं नहर कार्य पूरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 233-प्र. क्र. 14-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में

उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—बेगन्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.481 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
6/1	0.160
6/2	0.140
6/3	0.120
5/1	0.240
2/1	0.450
2/2	0.150
2/3	0.280
2/4	0.280
74/1	0.240
75/1	0.250
76	0.410
77/2	0.330
77/3	0.280
77/1/1	0.120
78/1	0.010
81	0.240
82/1	0.240
82/2	0.240
63/2	0.200
63/5	0.200
63/3	0.500
63/1	0.200
38/2	0.350
35/1	0.400
35/2/4	0.080
66/2/1	0.300
43/1	0.030
43/2	0.080
61/2/2	0.240
61/1	0.240
61/3	0.240
57/2	0.100
57/3	0.100
57/1	0.100
54/1	0.150
55/1	0.150
54/2/1	0.030
55/2	0.100
49	0.150
58	0.200
136/1	0.320
136/2	0.120
136/3	0.120
136/4	0.020
137/1/1	0.025
136/6/1	0.041
137/3/1	0.045
136/6/2	0.030
137/3/2	0.050
134	0.120
133/2	0.290
162/1	0.290
162/2	0.220
162/3	0.070
163/1	0.060
127/2	0.100
163/2	0.120
163/3	0.120
योग	10.481

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 245-भू-अर्जन-ओ. एस. पी.-010-भू-अर्जन-प्रकरण-क्रमांक 15-अ-82-08-09.—**संशोधन.**—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 928/भू-अर्जन/08/धार, दिनांक 19 जून, 2009 ग्राम बलवाडा तहसील धरमपुरी, जिला धार का रकबा 7.734 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन, ओंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित, का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 1672-1673 पर दिनांक 03 जुलाई, 2009 को तथा दो समाचार पत्रों दैनिक अवंतिका एवं नई दुनिया में दिनांक 30 जून, 2009 को प्रकाशन हुआ है. जिनका जी-नम्बर 13987/09 है :—

जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

पूर्व में प्रकाशित खसरा नम्बर	संशोधित प्रविष्टि खसरा नम्बर
(1)	(2)
76/1	76
	77/1
76/2	76
	77/2
128/3क	128/3

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

क्र. 239-प्र. क्र. 16-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—शाहपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.390 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/2	0.625
2/2	0.160
	0.785
2/1	0.075
32/2	0.050
29/2	0.565
29/3	0.160
30	0.370
49	0.415
45/1	0.190
	0.605
41/3	0.380
42/2/2	0.450
42/2/1	0.090
42/1	0.210
38/5	0.150
38/4	0.150
38/3/2	0.085
	0.385
38/3/1	0.085
38/2	0.150
38/1	0.180
	0.415
28/1	0.340
28/2	0.050
25	0.050
26	0.300
24/1	0.270
23	0.340
22/1/1	0.050
22/1/2	0.050
22/1/3	0.050
22/1/4	0.050
22/2	0.300
योग . .	6.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ओंकेरेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 12 अप्रैल, 2010

क्र. 965-514-वाचक-प्र. क्र. 26-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—सिरसी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.121 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	0.315
4/1	0.235
4/2	0.245
74/1	0.200
76	0.719
84	0.196
78/2	0.052
113	0.239
112	0.030
118/2	0.180
121/1	0.545
118/1	0.223
83	0.018
125/2	0.640
124	0.026
130	0.040
132	0.020
135	0.040
136	0.250
87	0.020
137	0.130
139/3	0.450
301	0.018
139/2	0.390
139/1	0.460
311/2	0.210
311/1	0.150
312/1	0.080
योग . .	6.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 17 की सिरसी माईनर की आर. डी. 480 से 750 मी. एवं डी. एम.-73 की आर. डी. 3060 से 7070 के बीच नहर के निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 519-भू-अर्जन-ओ. एस. पी.-2009-10-भू-अर्जन-प्रकरण-क्रमांक 36-अ-82-08-09.—**संशोधन**—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2258/भू-अर्जन/09/धार, दिनांक 4 मई, 2009 ग्राम कवठी, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 20.120 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन, ओंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित, का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 1167 पर दिनांक 15 मई, 2009 के अंक में तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया दिनांक 12 मई, 2009 के अंक में तथा स्वदेश दिनांक 10 मई, 2009 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नंबर 11504/09 है :—

ग्राम-कवठी

पूर्व में प्रकाशित		संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
25/1/4/1	0.345	25/1क/1	0.345
136/1/1 136/3/2 137/2	0.240	136/1/2 136/3/2 137/2	0.240

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. 517-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 61-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—रसवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.217 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
93/2	0.238
93/4	0.136
86/5	0.109
92	0.269
90/1	0.427
31/2	0.758
31/1	0.280
योग	2.217

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 518-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 61-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—ब्राम्हणगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.185 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
302	0.025
301/2	0.133
300/2	0.125
299/1/1	0.119
300/1/2	0.276
297	0.028
255	0.202
258/1/2	0.422
258/1/1	0.176
258/2	0.103
259	0.591
260/2	0.177
260/2	0.008
262	0.608
247/2	0.385
247/3	0.093
244/4	0.369
244/5	0.353
231/2	0.294
232	0.676
233	0.022
योग	5.185

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 515-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 66-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—घट्टी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.290 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
244/2	0.839
141/1	1.674
140	1.269
135	1.229
136/4	0.050
136/2	0.043
135/7	0.132
135/6	0.212
135/5	0.304
136/1	0.006
135/2	0.949
134	0.032
48	0.352
47	1.750
47/9	0.053
49	1.438
42	1.461
20/2	0.136
41/4	0.111
41	3.476
21/7	0.012
21/6	0.124
41/3	0.283
41/251	0.200
37	0.252
38/2	0.148
38/1	0.071
(1)	(2)
40/2	0.125
142/1	0.028
142/2	0.216
143/1	0.122
143/2	0.115
145	0.716
144	0.090
239	0.047
240/1	0.008
149/2	0.396
38/2	0.721
34/5	0.151
36/1	0.361
35	0268
26	0.514
25/1	0.187
25/4, 25/5	0.214
25/3	0.258
25/2	0.172
28	0.362
23/1	0.286
23/2	0.212
21	0.208
20/1	0.218
20/2	0.178
19/1	0.044
18	0.113
16	0.067
15	0.128
14/1	0.063
14/2	0.092
12/1	0.662
11/2	0.325
10/8	0.042
10/7	0.082
10/6	0.051
10/5	0.027
10/4	0.026
10/3	0.027
10/2	0.028
10/1	0.038
9/2	0.158
9/1	0.119
6	0.083
27/2	0.180
5	0.584
3	0.452

(1)	(2)
4/1	0.394
210/248	0.216
4/2	0.170
86/1	0.109
86/7	0.155
86/8	0.103
86/3	0.218
88	0.017
95/1	0.165
95/5	0.076
95/6	0.107
95/7	0.083
95	0.003
94	0.305
योग . .	28.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 516-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 68-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—अभाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.224 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
308/2	0.036
306/2	0.454
306/1	0.021
307	0.135
300/2	1.002
299/2	0.484
300/7	0.117
299/1	0.485
293/1, 293/2/1 293/2/2, 293/3	1.174
294/3	0.124
292/1/1	0.437
292/2/2	0.014
289/1	0.241
289/2	0.715
291/1	0.024
290/4	0.490
290/3/1	0.271
योग . .	6.224

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 514-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 70-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—भटगोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.367 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
84/2/1/1	0.025

(1)	(2)
106/1, 106/2, 106/3	0.318
105	0.374
104	0.245
101	0.177
100	0.493
12/1, 12/2	0.200
10/2	0.232
10/1	0.134
2	0.176
3	0.378
53	0.152
61	0.246
63	0.167
34/3	0.027
34/2	0.393
34/1	0.264
24	0.127
26	0.005
27/1, 27/2, 27/3	0.699
28/1, 28/2, 28/3	0.627
41/116	0.087
41/115	0.309
41/117	0.423
45	0.419
85/2	0.514
83	0.605
42	0.476
80/1/2	0.075
योग . .	8.367

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 519-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 73-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—टेमला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—24.338 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
320/2	0.094
320/1	0.975
318	0.524
319	0.235
299/2	0.352
299/4	0.089
297/1	0.972
297/2	0.202
297/3	0.494
296/1	0.020
293	0.009
292/2	0.670
289	1.389
292/1	0.197
291	0.081
290	0.946
286	0.243
199	0.066
198/1, 198/2, 198/3	1.434
201/2, 201/3	0.537
202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9	1.266
194	0.237
200/2	0.049
200/3	0.012
200/4	0.024
204	0.162
205/3	0.075
205/2	0.087
205/1	0.152
207	0.103

(1)	(2)
208/1, 208/2, 216/2	0.356
216/1	0.231
212	0.095
213	0.160
214	0.136
65	0.408
67/1/3/1, 67/1/3/2, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5 67/6	0.589
63/3	0.319
70/2, 70/3, 70/4, 70/5	0.319
61/1, 61/2, 61/3/1, 61/3/2, 61/3/3, 61/3/4, 61/3/5, 61/4, 61/5	0.124
57/2	2.365
43/2	0.474
43/1	0.509
38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6	0.172
42/1, 42/2	0.470
40	0.050
39/3	0.833
39/2	0.010
39/1	0.028
34	0.058
33/2	0.036
35	0.096
8	0.092
30	1.155
9	0.218
11	0.018
10/2	0.300
13/1, 13/2	0.064
12	0.370
19/1/1/5/2	0.106
19/1/1/10	0.511
19/1/1/1/1/3/4, 19/1/1/4	1.011
	0.959
योग . .	24.338

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 509-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 76-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—देवला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.283 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.261
6/2	0.439
7/1	0.638
7/2	0.160
8	0.678
22	0.069
24	0.065
25/1, 25/2	0.139
25/3, 25/4	0.062
25/5, 25/6	0.065
25/7, 25/8	0.057
26	0.310
27	0.079
28	0.205
67/1, 67/2, 67/3	1.705
80	0.233
94/5	0.118
योग . .	5.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 510-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 78-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—बेलगाँव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.207 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
153	0.372
151	0.030
148/1, 148/2	0.410
55/2	0.020
56	0.359
59	0.020
64	0.024
68/1, 68/2	0.072
69	0.024
71	0.093
72	0.275
63	0.031
66	0.024
67	0.049
263/1, 263/2, 263/3, 263/4	0.319
261	0.020
262	0.122
260	0.243
213	0.105
214	0.093
212	0.291
216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5	0.042
206/1	0.313
225	0.350
241	0.338
235	0.847
238	0.135
229	0.405
228	0.095
224/2	0.175
10/2	0.461
12/1	0.328
8	0.103
46/2	0.262
46/1	0.163
41/3	0.141
41/2	0.020
2/2	0.033
योग . .	7.207

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 512-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 79-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—केंरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.811 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
182	0.016
206/1	0.002
206/2	0.415

(1)	(2)
206/6	0.243
206/3	0.421
206/7	0.014
167/1, 167/2, 167/3	1.166
169/1, 169/2	1.207
161/1	0.279
145	0.061
142/2, 143/2	0.693
142/1, 143/1	0.072
85	0.350
87/1	0.522
87/5	0.078
87/4	0.362
87/3	0.280
87/2	0.224
117/1, 117/2	1.731
115/2	0.168
155/1	0.391
110	0.130
111/1	0.161
107	0.224
105	0.143
97/2	0.325
97/1	0.363
96/1, 96/2	0.573
92/1/1	0.180
92/1/2	0.200
92/2	0.321
23/2	0.071
22/3	0.390
21/1	0.512
116	0.058
115/4	0.091
111/2/1, 111/2/2/1, 111/2/2/2, 111/2/2/3	0.352
103/1, 103/2, 103/3	0.022
योग . .	12.811

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 513-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 80-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—पूरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.188 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
48/1	0.734
45/4	0.206
45/2	0.237
44	0.217
46/4	0.089
42/5	0.454
42/1	0.441
36	0.283
35/2	0.395
38/4	0.062
33/2/2घ	0.389
33/4	0.101
33/3	0.075
42/3	0.540
42/4	0.028
46/1	0.647
30/3	0.554

29/1	0.327
28/8, 28/9	0.226
28/1	0.115
24/1	0.427
23/3	0.407
22/2/2क	0.378
22/1/2	0.386
6/4, 14, 16	0.363
6/1	0.427
7/1	0.680
योग . .	9.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 511-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 81-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—कालापानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.891 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7	1.190
70	0.883
71/1/2	0.854
82/1, 82/2/1क, 82/2/3ख, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/8, 82/9	1.252
145	0.389
144	2.383
51/260	0.059
147	0.074
149	0.065
151/1	0.108
153	0.058
152	0.599
161/1/4, 161/1/1/1/1/1ख, 161/1/3, 161/2	0.418
142	0.175
141	0.017
140/1, 140/2	0.611
139	1.201
173	1.146
174	0.076
160/1, 160/2, 106/3, 160/4	0.789
165/2	1.255
165/3	1.233
167	3.743
30/2	0.105
69	2.133
12	5.451
63	0.558
8	4.066
योग . .	30.891

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के. कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 521-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 82-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—घटवा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.075 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	1.041
294	0.089
295	0.128
296	0.227
291, 292	0.228
293	0.961
303	0.536
304	0.209
307	0.014
308	0.004
204	0.572
205	0.312
169	0.043
171	0.305
170	0.255
174	0.214
55	0.799
56	0.073
40/1	0.026
40/2	0.039
योग . .	6.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 520-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 85-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—उमरदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.594 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
201	0.689
199	0.302
194/1	0.290
193/2	0.313
योग . .	1.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 279-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय "Refresher Course Training Programme", जो दिनांक 5 अप्रैल 2010 से 10 अप्रैल 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवे. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके द्वारा पारित/विचरित किये गये निम्न प्रकरणों की एक प्रति प्रशिक्षण प्रारंभ होने से यथासंभव पूर्व संस्थान को आवश्यक रूप से भेजें :—

   (1) सत्र प्रकरण का निर्णय जिसमें साक्षी पक्ष द्रोही न हुआ हो,

   (2) व्यवहार वाद (अ) का निर्णय,

   (3) व्यवहार वाद अपील (अ) का निर्णय,

   (4) आपराधिक अपील का निर्णय,

   (5) आपराधिक पुनरीक्षण का निर्णय,

   (6) 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिलिखित अभियुक्त का बयान,

   (7) वाद विषय (Issues)

   (8) आरोप (Charges)

5. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679, पर समयावधि रहते सूचित करें.

8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण, उन्हें स्वयं की कराना होगा. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.

9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह

अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 302-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary", जो दिनांक 12 अप्रैल 2010 से 16 अप्रैल 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 अप्रैल 2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 अप्रैल 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवे. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679, पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण, उन्हें स्वयं की कराना होगा. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

10. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई-कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया "लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका" भी साथ लेकर आवें.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2010

क्र. E-1334-दो-3-420-80-भाग नौ.—श्री जयन्त चव्हाण, सेवानिवृत्त, रजिस्ट्रार जनरल (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित 126 दिवस (एक सौ छब्बीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-इक्कीस-ब(एक)-07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1.	श्री जयन्त चव्हाण, सेवानिवृत्त, रजिस्ट्रार जनरल (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का नियुक्ति दिनांक.	18-8-1979
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	28-2-2010
3.	नियुक्ति दिनांक 18-8-1979 से दिनांक 9 मार्च 1987 तक कुल सेवा अवधि.	7 वर्ष 6 माह
4.	दिनांक 10 मार्च 1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	22 वर्ष 11 माह
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	7×15=105 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	22=11×15=165 दिन
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता	277 दिन
8.	**घटाइये**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	126 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	151 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2010 को शेष अर्जित अवकाश एक सौ छब्बीस दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-21-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

क्र. E-1546-दो-2-100-06.—श्री ए. के. पटैरिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 11 मार्च 2010 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 अप्रैल 2008 से दिनांक 11 मार्च 2010 तक 23 माह की अवधि के लिए उन्तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-21-ब(एक), दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B-1459-दो-2-12-10.—श्री महेश कुमार शर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 4 जनवरी 2010 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B-1461-चार-8-42-77-तेरह.—श्रीमती अर्चना नायडू बोडे, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शहडोल को दिनांक 1 से 18 जुलाई 2009 तक के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 19 जुलाई 2009 से दिनांक 30 सितम्बर 2009 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चौहत्तर दिन का असाधारण अवकाश मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 31 (अ) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अर्चना नायडू बोडे, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

असाधारण अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 1977 के नियम 36 (4) के अन्तर्गत देय नहीं होगा.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अर्चना नायडू बोडे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. C-464-दो-2-29-2006.—श्रीमती केशर यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा को दिनांक 3 से 6 मार्च 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27, 28 फरवरी 2010 के

एवं 1 एवं 2 मार्च 2010 तक के एवं पश्चात में दिनांक 7 मार्च 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती केशर यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा को रीवा पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती केशर यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-469-दो-2-19-ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 22 से 25 मार्च 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 मार्च 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-471-दो-3-99-2000.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 15 से 16 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-479-दो-2-37-07.—श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

(1) दिनांक 5 से 6 फरवरी 2010 तक दो दिन का आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 8 फरवरी 2010 का एक दिन का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया जाता है.

(2) दिनांक 5 से 20 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सोलह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 21 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुन: पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 26th March 2010

No. 306/CJ-II/865—WHEREAS, a Departmental Enquiry has been initiated against Shri G. P. Agrawal, Additional District & Sessions Judge, Indore, for lacking integrity and devotion in judicial functions amounts to grave misconduct.

AND WHEREAS, serious nature of the acts of misconduct warrant his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of M. P. Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri G. P. Agrawal, Additional District & Sessions Judge, Indore under suspension, with headquarters at Sehore. The High Court further directs that orders for payments of subsistence allowances shall be issued separately at the earlist.

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. 328-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1.	श्री व्ही. पी. सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, रीवा.	षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. B-1586-तीन-6-2-2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक (1)	न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी (2)	पदस्थापना का स्थान (3)	राजस्व जिला (4)
1.	श्री आदेश कुमार जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बुरहानपुर.	बुरहानपुर	बुरहानपुर
2.	श्री पंकज श्रीवास्तव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	बुरहानपुर	बुरहानपुर
3.	श्री अतुल सक्सेना, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	बुरहानपुर	बुरहानपुर
4.	श्री अकबर शेख, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	बुरहानपुर	बुरहानपुर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

क्र. 282-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्र. 1-2-90-इक्कीस-अ (एक), दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री अरविंद मोहन सक्सेना, रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	मंदसौर	मंदसौर	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	मंदसौर

जबलपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 298-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री नत्थू सिंह डाबर	झाबुआ	मुरैना	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से डॉ. रमेश साहू के स्थान पर.
2	डॉ. रमेश साहू	मुरैना	राजगढ़	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अरविन्द रघुवंशी के स्थान पर.
3	श्री एच. एस. सिसौदिया	गुना	थांदला	झाबुआ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
4	श्री अरविन्द रघुवंशी	राजगढ़	जौरा	मुरैना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्री राजाराम बडोडिया	मंदसौर	भिण्ड	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्रीमती शशिकांता वैश्य	मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजाराम बडोडिया के स्थान पर.
7	श्री रमेश प्रसाद ठाकुर	मुंगावली	गुना	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री एच. एस. सिसौदिया के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	श्री कपिल कुमार मेहता, उप संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	जबलपुर	झाबुआ	झाबुआ	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री एन. एस. डावर के स्थान पर.

क्र. 299-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती तृप्ति शर्मा	भोपाल	विदिशा	विदिशा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से.
2	कु. प्रतिभा साठावने	मुलताई	रीवा	रीवा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री कमर इकबाल खान के स्थान पर.
3	श्री अखिलेख कुमार मिश्रा	नागौद	शहडोल	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शहडोल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, शहडोल की हैसियत से श्रीमती शशि सिंह के स्थान पर.
4	श्री अविनाश चन्द्र तिवारी	मैहर	कटनी	कटनी	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्री देवनारायण पाटिल	लटेरी	सांवेर	इन्दौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से.
6	श्री कमर इकबाल खान	रीवा	सतना	सतना	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7	श्री चन्द्रमोहन उपाध्याय	त्यौंथर	मैहर	सतना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री ए. सी. तिवारी के स्थान पर.
8	श्री माधव राव घोड़की	ब्यावरा	बैहर	बालाघाट	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से.
9	श्री राजेन्द्र चौरसिया	सांवेर	खण्डवा	खण्डवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्रीमती मनीषा बसेर के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	श्री बलराज कुमार पालोदा	इन्दौर	उज्जैन	उज्जैन	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्रीमती निहारिका सिंह के स्थान पर.
11	श्री माखन लाल झोड़	सिरमौर	बैढ़न	सीधी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री एम. के. त्रिपाठी के स्थान पर.
12	श्री लीलाधर सोलंकी	थांदला	सीतामऊ	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से.
13	श्री गिरीष दीक्षित	बैतूल	मुंगावली	अशोकनगर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री आर. पी. ठाकुर के स्थान पर.
14	श्री जाकिर हुसैन	बड़नगर	मुलताई	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.
15	श्रीमती मनीषा बसेर	खण्डवा	ब्यावरा	राजगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री माधव राव घोड़की के स्थान पर.
16	श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डेय	विदिशा	रायसेन	रायसेन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
17	श्री कृष्णदास महार	बैहर	रीवा	रीवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अरूण प्रताप सिंह के स्थान पर.
18	श्री धनराज दुबेला	नौगांव	त्यौंथर	रीवा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री सी. एम. उपाध्याय के स्थान पर.
19	श्री अरूण प्रताप सिंह	रीवा	लौंड़ी	छतरपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
20	श्री सैफी दाऊदी	महेश्वर	भानपुरा	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.
21	श्रीमती शशि सिंह	शहडोल	भोपाल	भोपाल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.
22	श्रीमती निहारिका सिंह	उज्जैन	रतलाम	रतलाम	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती वंदना राज पाण्डेय के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी	भानपुरा	डबरा	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
24	श्री सुजीत कुमार सिंह	राजेन्द्रग्राम	नागौद	सतना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अखिलेश कुमार मिश्रा के स्थान पर.
25	श्री उमा शंकर शर्मा	सीतामऊ	सिरमौर	रीवा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.
26	श्रीमती वंदना राज पाण्डेय	रतलाम	धार	धार	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
27	श्री एम. के. त्रिपाठी	बैढ़न	बड़नगर	उज्जैन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री जाकिर हुसैन के स्थान पर.
28	श्री रतन कुमार वर्मा	लहार	भिण्ड	भिण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
29	श्री संजय चौहान	गैरतगंज	नौगांव	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.

क्र. 300-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री रूपेश नायक	रायसेन	सिलवानी	रायसेन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	कुमारी रमा शिवहरे	ग्वालियर	अशोकनगर	अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्री कैलाश नारायण अहिरवार	दमोह	चन्देरी	गुना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4	श्री अरूण सिंह	भोपाल	आष्टा	सीहोर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	श्री प्रकाश केरकेट्टा	देवास	खातेगांव	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री अजय पेंदाम	देवास	टोंकखुर्द	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
7	श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी (जूनियर)	ग्वालियर	राघौगढ़	गुना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
8	श्री त्रिवेणी प्रसाद सोंधिया	होशंगाबाद	राजेन्द्रग्राम	अनूपपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9	श्री मोहम्मद महमूद खान	मऊगंज	राजनगर	छतरपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
10	श्री मनीष सिंह ठाकुर	विदिशा	लटेरी	विदिशा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
11	श्री सतीश वसुनिया	खण्डवा	मऊगंज	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री मोहम्मद महमूद खान के स्थान पर.
12	श्री मोहम्मद अरशद	भिण्ड	मेहगांव	भिण्ड	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
13	श्री राजीव राव गौतम	शिवपुरी	करैरा	शिवपुरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
14	श्री अमजद अली	टीकमगढ़	डबरा	ग्वालियर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
15	श्री अहमद रजा	नरसिंहपुर	बीना	सागर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
16	श्री किशोर कुमार निनामा	खण्डवा	महेश्वर	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
17	श्री इरशाद अहमद	सतना	रामपुर-बघेलान	सतना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.